केवल राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
अपील 1674 / 14 / एल.आर. / श्रीगंगानगर

नानूराम पुत्र मुखराम उर्फ सुखराम जाति नायक निवासी चक 10 एम.के. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर
2. रेशम सिंह पुत्र भजन सिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 4 जे.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

एकलपीठ
श्री विजय कुमार सोनी

उपस्थिति:- श्री अमृतपाल सिंह वानर अभिभाषक अपीलान्ट
उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स.1
श्री दिनेश कुमार सैन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स.2

W.R.

निर्णय दिनाक 01.12.15

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दि.11.3.14 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने अपील स. 110/13 शीर्षक नानूराम बनाम राजस्थान सरकार आदि को खारिज किया है।

संक्षेप मे अपील के तथ्यानुसार रेस्पोडेन्ट स.2 नानूराम पुत्र सुखराम ने भूमि आवंटन प्रार्थनापत्र स.4679/74 राजस्थान उपनिवेशन (1955 के पश्चात के अस्थाई कृषि पटटा धारियो को तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियो को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1971 (जिसे निर्णय मे नियम 1971 कहा गया है) के तहत आंवटन अधिकारी एव सहायक उपनिवेशन आयुक्त रायसिहनगर मुख्यालय सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। आवंटन सलाहकार समिति ने अपने आदेश दि.29.12.75 द्वारा नानूराम को 22 बीघा भूमि आवंटन करने का सक्षम घोषित किया।

COMPARED BY

तत्पश्चात निर्णय दि.31.1.76 द्वारा नानूराम को एफ क्षेणी का भूमिहीन मान कर लाटरी के जरिये चक 4 जे.एस.डी. के पत्थर स. 122/369 के किला न.2 ता 23 कुल 22.00 बीधा भूमि (एस.एल.) का स्थाई आवंटन कर दिया। नियम 1971 राजस्थान उपनिवेशन (इन्द्रा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 से प्रतिस्थापित हुये। (निर्णय मे जिन्हे नियम 1975 कहा गया है) आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ ने अपने आदेश कमाक 2234 दि.28.2.84 द्वारा नानूराम को किया गया आवंटन आदेश दि.31.1.76 किश्त के अभाव मे खारिज कर दिया। तत्पश्चात आवंटी नानूराम ने एक प्रार्थनापत्र दि.7.7.94 मार्फत शंकरलाल पुत्र गणपतराम उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटी किश्त राशी जमा करवाने को तैयार है। इसलिये तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जावे कि आवटित भूमि की किश्त जमा करली जावे। तत्पश्चात नानूराम आवटी ने एक प्रार्थनापत्र दि.20.9.94 मार्फत शंकरलाल तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि आंवटित भूमि पत्थर स.122/369 पूर्व मे ही किसी हरनामकौर आदि को आवंटित है। आंवटी पत्थर स.122/369 के स्थान पर पत्थर स.123/369 पर काबिज काश्त है। इसलिये आवंटन आदेश मे संशोधन कर पत्थर स.122/369 के स्थान पर 123/369 किया जावे। आवंटी नानूराम के प्रार्थनापत्र दि.7.7.94 व 20.9.94 जो मार्फत शंकरलाल के प्रस्तुत किये गये थे, के आधार पर उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने पत्र कमांक/आवंटन/94/396/29.12.94 द्वारा आदेश पारित किया कि विवादग्रस्त भूमि की समस्त किश्त राशी एक माह के अन्दर 200 रूपये अर्थदण्ड जमा करवा कर जमा करवा ली जावे तथा आवंटन पटटा पर पत्थर स.122/369 के स्थान पर 123/369 दुरूस्त कर दिया जावे। (पत्थर स.123/369 किला न.1 ता 25 भूमि को निर्णय मे विवादग्रस्त भूमि कहा गया है) आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दि.29.12.94 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट स.2 ने प्रथम अपील स.44/95 शीर्षक रेशमसिंह बनाम नानूराम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दि.19.7.96 द्वारा अपील खारिज कर दी। रेस्पोडेन्ट स.2 रेशमसिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दि.19.7.96 के विरूद्व द्वितीय अपील स.134/96/एल.आर./श्रीगंगानगर शीर्षक रेशमसिंह बनाम नानूराम राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल की विद्वान एकलपीठ ने अपने निर्णय दि.20.10.98 द्वारा अपील स्वीकार कर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय दि.29.12.94 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर का निर्णय दि.19.7.96 निरस्त कर दिये तथा प्रकरण कुछ

COMPARED BY

निर्देशो के साथ उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलान्ट नानूराम ने राजस्व मण्डल के निर्णय दि.20.10.98 के विरूद्व एस.बी. सिविल याचिका स.122/99 शीर्षक नानूराम बनाम सरकार आदि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलान्ट नानूराम ने उपरोक्त याचिका को दि.28.5.12 को वापस ले ली। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दि.20.10.98 अन्तिम हो गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के प्रेतिप्रेषित पत्रावली आवटंन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के न्यायालय मे दर्ज हुई। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने प्रतिप्रेषित पत्रावली को अपने निर्णय दि.8.4.13 द्वारा निर्णित करते हुये विवादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट स.2 रेशमसिंह को कर दिया। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय दि.8.4.13 के विरूद्व अपीलान्ट नानूराम ने प्रथम अपील स.110/13 शीर्षक नानूराम बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दि.11.3.14 द्वारा अपील खारिज कर दी। अपीलान्ट नानूराम ने आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय दि.8.4.13 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दि. 11.3.14 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

दोनो पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 व सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस करते हुये बताया कि प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न जमाबन्दी सवंत 2049 से 51, खसरा गिरदावरी सवंत 2023 से 25, खसरा गिरदावरी 2019 से 22 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई हैं। सलग्न दस्तावेज एक लोक दस्तावेज है। जिससे यह साबित किया जाना है कि विवादग्रस्त भूमि कभी भी रेशमसिंह को अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित नही थी। उपरोक्त खसरा गिरदावरी मे विवादग्रस्त भूमि रावतगिर पुत्र जीवनगिर के नाम से अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित है। प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सलग्न दस्तावेज प्रकरण के निर्णय मे सहायक है। इसलिये प्रार्थनापत्र स्वीकार कर सलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जावे।

COMPARED BY

अपील के गुण-अवगुण पर बहस करते हुये विद्वान अभिभाषक

अपीलान्ट ने तर्क दिया कि इस बिन्दू आंवटी/अपीलान्ट नानूराम को एफ क्षेणी का भूमिह. तहत दि.31.1.76 को चक 4 जे.एस.डी. के पत्थर स.। 2 ता 23 कुल 22.00 बीघा भूमि स्थाई रूप से आवंटित की उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ ने अपने निर्णय दि. 28.2.84 द्वारा आधार पर खारिज कर दिया कि आंवटी द्वारा आवंटन राशी जमा नही ६ है। इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नही है कि उपरोक्त वर्णित भूमि नानूराम आवंटन से पूर्व ही हरनामकौर आदि को आंवटित थी। आंवटित भूमि का पुन: आवंटन नही किया जा सकता है। इसलिये आंवटी/अपीलान्ट ने आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आवंटन राशी जमा करवाने तथा वैकल्पिक आवंटन चक 4 जे.एस.डी. के पत्थर स.123/369 आवंटन करने का निवेदन किया। पत्थर स.123/369 रकबा राज था। इसी आधार पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने निर्णय दि.29.12.94 द्वारा शेष आवंटन राशी जमा करवाने तथा वैकल्पिक भूमि पत्थर स.123/369 का दुरूस्त करने का आदेश पारित किया। इसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट स.2 ने प्रथम अपील स.44/95 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दि.19.7.96 द्वारा अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट स. 2 ने अपील स.134/96 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दि.20.10.98 द्वारा अपील को स्वीकार कर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय दि.29. 12.94 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर का निर्णय दि.19.7.96 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड श्रीविजयनगर ने अपने निर्णय दि.8.4.13 द्वारा विवादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट स.2 रेशमसिंह को कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील स.110/13 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया। रेशमसिंह विवादग्रस्त भूमि का अस्थाई कृषि पटटा धारक नही था। रेशमसिंह विवादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज काश्त था। इस आशय की रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि.7.7.94 की पुश्त पर अंकित है। अनाधिकृत रूप से कब्जा की भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध है। विद्वान अभिभाषक ने इस बिन्दू पर आर.आर.डी. 1987 पेज 54 (एल.बी.) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। रेशमसिंह विवादग्रस्त भूमि को आवंटन करवाने का पात्र नही है। प्रार्थी आवंटन की समस्त शर्तो को पूरा करता है। आवंटित भूमि का अगर पुन: आवटंन अपीलान्ट को अधिनस्थ राजस्व अधिकारियो द्वारा

COMPARED BY

कर दिया गया है तो इसमे अपीलान्ट का कोई दोष नही है। इसी आधार पर वैकल्पिक आवंटन पत्थर स.123/369 का किया गया है। दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णय विधि विरूद्व तथा राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिये अपील को स्वीकार कर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जावे तथा विवादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलान्ट के पक्ष मे किया जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स.1 ने तर्क दिया कि दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णय समवर्ती निर्णय है। निगरानी का क्षेत्र सिमित क्षेत्र है। जिसके द्वारा समवर्ती निर्णयो मे हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिये। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट स.2 रेशमसिह को अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित है। जिसका वैकल्पिक आवंटन अपीलान्ट को नही किया जा सकता है। इसलिये अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स.2 ने अपील के संधारण पर प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि यह द्वितीय अपील संधारण योग्य नही है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर का निर्णय दि.8.4.13 नियम 1975 के तहत पारित किया गया है। नियम 23 (1) नियम 1975 के अनुसार आवंटन अधिकारी के निर्णय/आदेश के विरूद्व प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व नियम 23 (2) नियम 1975 के तहत राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होगी। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्व वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है जो संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स.2 ने सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सी.पी.सी. का जबाब देते हुये तर्क दिया कि आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र केवल नियम मे दिये गये आधारो पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न दस्तावेज पुराने दस्तावेज है जो अपीलान्ट के पास प्रारम्भ से ही है। द्वितीय अपील के स्तर पर प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत नही किया जा सकता है। प्रार्थनापत्र मे ऐसा कोई आधार बिन्दू अंकित नही किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जा सके। इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

COMPARED BY

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स.2 ने अपील के गुण-अवगुण पर बहस करते हुये तर्क दिया कि विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट स.2 को बतौर अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित हुई थी। जिसका समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा है। मूल अस्थाई कृषि पटटा नवीनीकरण प्रार्थनापत्र जिसकी पुश्त पर तहसील रिपार्ट है। अधिनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। नियम 1975 के नियम 7 के तहत अस्थाई कृषि पटटा धारक वरीयता मे प्रथम स्थान पर है। रेस्पोडेन्ट स.2 का अस्थाई कृषि पटटा कभी भी खारिज अथवा निरस्त नही किया गया है। अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित भूमि पुन: आवंटन हेतु उपलब्ध नही है। राज्य सरकार ने परिपत्र आर.एल.टी. 2005 पेज 225 (प्रथम भाग) पर अधिसूचना सख्या एफ.3 (29) कोलो/86 जी.एस.आर. 58 दि.26.11.04 जारी कर निर्देश जारी किये है कि अगर अस्थाई कृषि पटटा खारिज नही किया गया है तथा उसका नवीनीकरण भी नही हुआ है तो भी यह माना जायेगा कि अस्थाई कृषि पटटा का नवीनीकरण हो चुका है। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट स.2 को अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित है। इसलिये यह भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नही है। इसी आधार पर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स.2 ने बहस करते हुये निवेदन किया कि नानूराम नाम का कोई व्यक्ति नही है। नानूराम के नाम से एक प्रार्थनापत्र दि.7.7.94 व दूसरा प्रार्थनापत्र दि.20.9.94 को किसी शंकरलाल नाम के व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थनापत्र पर यह अंकित नही है कि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति शंकरलाल का नानूराम से क्या सम्बंध है तथा प्रार्थनापत्र किस हैसियत से प्रस्तुत किये जा रहे है। The Rajasthan revenue court manual 1957 (volume 11) के नियम 56 के अनुसार प्रत्येक प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वंय द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। दोनो ही प्रार्थनापत्र अजनबी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये है। दोनो ही प्रार्थनापत्र संधारण योग्य नही है। पूर्व मे इसी भूमि के सम्बंध मे एक अपील स.134/96/एल.आर./श्रीगंगानगर राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत हुई थी। राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपील को अपने निर्णय दि. 20.10.98 द्वारा निर्णित करते हुये यह संदेह प्रकट किया था कि शंकरलाल कौन है। प्रतिप्रेषित प्रकरण मे भी नानूराम स्वयं उपस्थित नही हुआ। प्रतिप्रेषित प्रकरण मे नानूराम की और से प्रस्तुत वकालतनामा पर नानूराम के हस्ताक्षर है। जबकि आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध समस्त कागजात पर नानूराम की अंगुठा निशानी है। इससे यह साबित है कि नानूराम नाम का कोई व्यक्ति नही है। किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा नानूराम की और से फर्जकारी कर कार्यवाही की जा रही

COMPARED BY

है। इस बिन्दू पर विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट स.2 ने आर.आर.टी. 2005 (2)पेज 1256 (एच.सी.) न्यायिक द्रष्टांत प्रस्तुत किया। दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णय समवर्ती निर्णय है। जिसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिये अपील को खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट स. 2 के निगरानी प्रस्तुत करने के तर्क पर जवाब दिया कि निगरानी भी अन्दर अवधि है। इसलिये अपील को नियम 23 (2) नियम 1975 के तहत निगरानी मे परिवर्तित कर दी जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस का मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। नियम 1975 एवं दोनो पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टांत का मनन किया गया।

सर्वप्रथम इस बिन्दू को निर्णित किया जाना आवश्यक है कि क्या राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दि.11.3.14 के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत होगी अथवा नियम 23 (2) नियम 1975 के तहत निगरानी प्रस्तुत होगी। नियम 1975 एक विशेष प्रावधान है। नियम 23 (2) के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्व राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होगी। नियम 1975 एक विशेष प्रावधान होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान पर अधिमान्य प्रभाव रखता है। धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम मे प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम मे नही है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागु होगे। जब नियम 23 (2) मे निगरानी का प्रावधान दिया गया है तो राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दि. 11.3.14 के विरूद्व धारा 76 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत नही हो सकती है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट स.2 का यह तर्क मान्य नही है कि निगरानी के स्थान पर अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिये अपील को संधारण योग्य नही मान कर अपील खारिज कर दी जावे। निगरानी के स्थान पर अपील प्रस्तुत कर देना एक तकनीकी त्रुटि है। अपील को निगरानी मे परिवर्तन करने के पश्चात भी वर्तमान निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। इसलिये वर्तमान अपील को निगरानी मे परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

COMPARED BY

निगरानी को गुण-अवगुण पर निर्णित करने से पूर्व

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. को निर्णित किया जाना आवश्यक है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा यह साबित किये जाने का प्रयास किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट स.2 को अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित नही है। इसके विपरीत विद्वान अभिभापक अप्रार्थी स.2 का कथन है कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पुराने है। जिन्हे प्रारम्भिक स्तर पर ही प्रस्तुत कर दिये जाने थे। आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थनापत्र नियम मे वर्णित आधारो पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थनापत्र मे ऐसा कोई भी आधार अंकित नही किया गया है। जिसके आधार पर प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जा सके। प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का कोई भी आधार अंकित नही किया गया। खसरा गिरदावरी अधिकारो का मूलभूत दस्तावेज नही है। प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न दस्तावेज निर्णय पारित करने मे सहायक नही है। क्योकि रेस्पोडेन्ट स.2 का अस्थाई कृषि पटटा नवीनीकरण प्रार्थनापत्र रिकार्ड पर उपलब्ध है। अस्थाई कृषि पटटा किसी भी अधिकारी द्वारा खारिज नही किया गया है। इसलिये निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. खारिज किया जाता है।

इस प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दू यह कि विवादग्रस्त भूमि का वैकल्पिक आवंटन निगरानीकर्ता नानूराम को होना चाहिये अथवा अप्रार्थी स.2 रेशमसिंह को स्थाई आवंटन होना चाहिये। नानूराम की बहस का मुख्य आधार यह कि उसे चक 4 जे.एस.डी. के पत्थर स.122/369 के किला न.2 ता 23 कुल 22.00 बीघा भूमि उसे सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी रायसिहनगर द्वारा जरिये पत्रावली स.4679/74 आदेश दि.31.1.76 द्वारा एफ श्रेणी का भूमिहीन मानकर आवंटन किया गया है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने निर्णय दि.29.12.94 द्वारा शेष आवंटन राशी जमा करवाई जाने तथा पत्थर स.122/369 के स्थान पर 123/369 दुरूस्त करने के आदेश पारित किये है। निगरानीकर्ता वैकल्पिक आवंटन का पात्र है। इसलिये विवादग्रस्त भूमि का वैकल्पिक आवंटन निगरानीकर्ता को किया जाना चाहिये। इसके विपरीत अप्रार्थी स.2 के कथनानुसार नानूराम नाम का कोई व्यक्ति नही है। नानूराम की और से प्रार्थनापत्र किसी शंकरलाल नाम के व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये है। जिसके सम्बंध मे राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपील स.134/96/एल.आर./श्रीगंगानगर निर्णय दि.20.10.98 मे टीका टिप्पणी की है। शंकरलाल का नानूराम से क्या सम्बंध है, अंकित नही है। नानूराम के आवंटन प्रार्थनापत्र पर अगुंठा निशानी है। इसके विपरीत

COMPARED BY

प्रतिप्रेषित प्रकरण मे नानूराम के वकालतनामा पर नानूराम के हस्ताक्षर है। आवंटन प्रार्थनापत्र मे नानूराम के पिता का नाम सुखराम अंकित है। जबकि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मे नानूराम के पिता का नाम मुखराम उर्फ सुखराम अंकित है। सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद है। जब प्रार्थनापत्र पर नानूराम के हस्ताक्षर अथवा अगुंठा निशानी नही है तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थनापत्र अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। The Rajasthan revenue court manual 1957 (volume 11) के नियम 56 के तहत प्रत्येक प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वंय द्वारा अथवा उसके किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा।

Rule 56 is here by reproduced as under :-

Appearance to be through recoguised Ageats - Any appearance or act in any Revenue Court required or authorised by any law to be made or done by a party in such a court may, except when otherwise expressly provided by any law for the time being in force. be made or done by the party in person or by his recognised agent or by a legal practitioner or a Revenue agent appearing or acting as the case may be on his behalf.
Provided that such appearance shall if the court so directs be made by the party in person.

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी स.2 के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2005 (2) पेज 1256 (एच.सी.) का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन किया गया।

Rajasthan Colonisation Act, 1954 - Secs. 7 r/w 28 - Rajasthan colonisation (Allotment of Sale Govt. Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules. 1975 - Rule 2 to 14_ Allotment of small patch of land - No signature or T.I. of petitioner on application - Land of appellant & respondent was adjoining to disputed land - Allotting authority found the petitloner entitled for allotment because small patch was falling in same murabba No 95/38 -findings based on assumption - Allotment made in violation of rules - Respondent hear locus standi to challenge the allotment - Board rightly held aside the order of allotment.

Para (51)The application purportedly made on behalf petitioner could hardly be termed as a proper application for allotment of small patch. The applicant the petitioner herein Smt. Sunder. has not put her signatures or impressions on the application. The applicant has although been alleged to be her son but no power or authority

COMPARED BY

with him to move such application had been shown. It may be pointed out that such power or authority with her son for moving such application has not been produced even before this Court. Although this writ perition has been submitted by the same son of the petitoner Smt. Sunder but for that purpose a special power of attorney attested on 7.11.1994 after the decision of Board of Revenue has been filed by which she has appointed her sonJhamanlal as her attorney. The fact remains that even in this power of attorney not a single word has been stated that her son jhamanlal was ever previously appinted as her attorney or authorised to move the application. The applicatin Annexure - 5 also does not state about any such authority of jhamanlal. The application is not supported by affidavit either and is not in the prescribed form. Even if these irregularities regarding form be ignored. the fundamental want of authority with Jhamanlal to move this application striges at the very maintainability of this application and it cannot be termed as a valid and competent application Contention (B) supra. is also rejected.

नियम 56 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक द्रष्टांत आर.आर. टी.2005 (2) पेज 1256 के अनुसार नानूराम के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नही होने के कारण नानूराम विवादग्रस्त भूमि का वैकल्पिक आवंटन का पात्र नही है। विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि नही है। विवादग्रस्त भूमि मे रेशमसिंह का अधिकारी है। इस आधार पर भी नानूराम को विवादग्रस्त भूमि का आवंटन नही हो सकता है। केवल राजकीय भूमि का ही वैकल्पिक आवंटन किया जा सकता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेशमसिंह का अस्थाई कृषि पटटा नवीनीकरण प्रार्थनापत्र व उसकी पुश्त पर तहसील रिर्पोट यह साबित करती है कि विवादग्रस्त भूमि रेशमसिंह को अस्थाई कृषि पटटा के रूप मे आवंटित है। जिसका समय-समय पर नवीनीकण होता रहा है। राज्य सरकार की अधिसूचना आर.एल.टी. 2005 पेज 225 अधिसूचना एफ.3 (29) कोलो / 86 जी.एस.आर.58 दि.26.11.04 के अनुसार अगर अस्थाई कृषि पटटा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नही किया गया है तो अस्थाई कृषि पटटा भूमि का स्थाई आवंटन किया जायेगा।

Notification dated 26.11.04 is here by reproduced as under :-

2 नियम 13 का संशोधन - राजस्थान उपनिवेशन (इन्द्रागांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 के

COMPARED BY

उपनियम (5) के खण्ड (क) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ाजायेगा :-

''परन्तु यह और कि वे अस्थाई खेतिहर जिन्हे 1.1.1995 को या उसके पूर्व भूमि आवंटित की गई थी, चाहे उनका अस्थाई खेती पटटा नवीकृत किया गया है या नही, या सक्षम न्यायालय द्वारा रद नही किया गया है और ऐसे खेतिहरो का आवंटन की तारीख तक ऐसी भूमि पर कब्जा रहा है, ऐसे व्यक्ति नियमो मे अधिकथित निबंधन और शर्तो पर स्थाई आधार पर भूमि आवंटन के पात्र होगे और उनसे वह भूमि की कीमत प्रभारित की जायेगी जो उक्त नियमो के नियम 17 मे अधिकथित है।

(Published in Raj. Gaz. Ex.ordi. 4 (Ga) (1) - Dt.19.2.2005 Page 151)

नियम 1975 के नियम 7 के कम स.1 पर अस्थाई कृषि पटटा धारक प्रथम वरीयता पर है। विवादग्रस्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी स.2 को इसी आधार पर किया गया है। जो विधि अनुसार तथा विधिक प्रकिया के तहत ही किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी स.2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी.1993 पेज 596 (एस.सी.) का अवलोकन किया गया।

Rajashan Colonisation (Allotment and Sale of Govt. Land in Rajasthan Canal Colony area) Rules. 1975 - Permanent allotment of land - Appellantwas holding temporary allotment - Permanent allotment refused on the ground that he was a minor and had given false declaration at the time of temporary allotment of land - Authorities rejected the School and Medical Certificates in support of his age - Temporary lease never cancelled - Held that appellant being temporary cultivation lease holder permanent allotment could not be denied to him under the Rules - After making temporary allotment in favour of appellant if it was sought to be cancelled on the ground that appellant was minor at the time of allotment then the onus was on the Authorities to show that the appellant had made misrepresentation regarding his age.

निगरानी का क्षेत्र एक सिमित क्षेत्र है। निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर ही प्रस्तुत की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण मे प्रार्थी निगरानीकर्ता का यह आक्षेप नही है कि अधिनस्थ न्यायालयो को क्षेत्राधिकार नही था। निगरानी के माध्यम से दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के समवर्ती निर्णय मे हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। फलस्वरूप निगरानी खारिज की जाती है।

COMPARED BY

इस बिन्दू पर कोई विवाद नही है कि नानूराम एफ श्रेणी का

भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन का पात्र है। वैकल्पिक आवंटन प्रार्थनापत्र इस आधार पर संधारण योग्य नही है कि प्रार्थनापत्र स्वंय नानूराम द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है तथा ना ही नानूराम के अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी स.2 रेशमसिंह की अस्थाई कृषि पटटा की भूमि होने के कारण राजकीय भूमि नही है तथा इसका वैकल्पिक आवंटन नानूराम को नही किया जा सकता है। नानूराम स्वयं उपस्थित होकर वैकल्पिक आवंटन प्रार्थनापत्र आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष इस निर्णय के दो माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तो आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर नानूराम के स्वयं के उपस्थित होने की सम्पूर्ण जांच कर अपने उपखण्ड मे उपलब्ध राजकीय भूमि का आवंटन नानूराम को 22.00 बीधा (एस.एल.) अथवा उसके समकक्ष भूमि का आवंटन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने के दो माह के अन्दर कर देवे। आवंटन राशी भूमिहीन आवंटन के लिये जो वर्तमान मे प्रचलित है, नानूराम से वसूल करली जावे। पूर्व मे नानूराम द्वारा जमा आंवटन राशी का समायोजन कर दिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

01.12.15

विजय कुमार सोनी

सदस्य

COMPARED BY